



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 69 राँची, बुधवार,

23 फरवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

4 फरवरी, 2022

संख्या-13/वरीय स्था०पद०-01/2021का०-599--झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में श्री राम बचन सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गढ़वा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/वरीय स्था०पद०-01/2021का०-600--झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, अपर न्यायायुक्त, राँची को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गिरिडीह के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/वरीय स्थापद-01/2021का-601--झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में श्री अशोक कुमार नं०-2, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-पीठासीन पदाधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, हजारीबाग को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गोड्डा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-13/वरीय स्थापद-01/2021का-602--झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में श्री अविनाश कुमार दूबे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, साहेबगंज को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
